न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 183/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00198

01. गणपतराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति नायक निवासी चक 8 डीडी तहसील पदमपुर हाल निवासी वार्ड नंबर 7/20 नई मण्डी घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

01. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

02. सरपंच ग्राम पंचायत 4 डीडी डेलवां तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर – अभिभाषक अपीलांट
श्री विजय पारीक – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स संख्या 2

निर्णय

दिनांक 11.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 की पालना में जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश 21.02.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता पुरखाराम नाई को बतौर गांव सेवा द्वारा चक 8 डी डी तहसील पदमपुर में मुरब्बा नंबर 11 के किला नंबर 1 ता 7 रेवेन्यू कमीश्नर के आदेश क्रमांक 5922 दिनांक 28.03.1933 को आवंटित हुई। उक्त वादगत भूमि के संबंध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 की पालना में अमल दरामद आदेश दिनांक 21.01.1994 द्वारा ग्राम पंचायत डेलवा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किया। अपीलांट जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 एवं इसके पालना में दर्ज अमल दरामद आदेश दिनांक 21.01.1994 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नं1(17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के क्रम में क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा लौटाई जाने पर इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 की पालना में अमल दरामद आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 21.01.1994 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। उक्त वादगत भूमि अपीलांट के पिता पुरखाराम नाई को बतौर गांव सेवा द्वारा चक 8 डीडी तहसील पदमपुर में मुरब्बा नंबर 11 के किला नंबर 1 ता 7 डीवीजनल कमीश्नर आदेश संख्या 5922 दिनांक 28.03.1993 को आवंटित की गई। उक्त आवंटन का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में हो गया। इसके पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में 2035, 2038 2022 में बतौर नाई अपीलांट के पिता के नाम दर्ज हैं मुरब्बा नंबर 11 वर्तमान समय में मुरब्बा नंबर 4 है। अपीलांट के पिता पुरखाराम नाई का देहान्त दिनांक 28.01.2001 को हो गया। अपीलांट के पिता का एक मात्र वारिस अपीलांट ही हैं वर्तमान समय में अपीलांट के पिता का आवंटन आदेश अंतिम हो चुका है और किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा इस आवंटन आदेश को खारिज नहीं किया गया। अपीलांट के पिता को आंवटन आदेश प्रभावशाली होते हुए भी जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अमल दरामद आदेश दिनांक 21.01.1994 जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.02. 1969 की पालना में रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 न तो पत्रावली उपलब्ध हैं न ही आवंटन आदेश किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.02.1969 की प्रमाणित प्रतिपिति हेतु आवेदन किया, जिस पर संबंधित लिपिक द्वारा रिपोर्ट की गई की मूल पत्रावली में कोई आवंटन आदेश की प्रति नही है। इसलिए अपीलांट के पास जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 24.02. 1969 को डिस्पेन्सविद करवाने के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र पेश किया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी द्वारा रिट याचिका संख्या डीबी सिविल स्पेशल अपील नंबर 642/2011 निर्णय दिनाक 22.08.2015 को पारित किया गया, उसमें स्पष्ट किया गया कि एक बार विलेज सर्वेन्ट को आवंटन की गई आराजी का खातेदार माना जाएगा और इस खातेदारी को खारिज करने का किसी भी न्यायालय को अधिकार नही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा उक्त पत्रावली एफ 12(11)(राजस्व) में मूल आदेश 24.02.1969 न होते हुए भी उसकी पालना में दिनांक 21.01.1994 को अमल दरामद करने का आदेश पारित किया गया। इस लिए अपीलाकृत आदेश अपास्त किया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि जिलाधीश श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.02.1969 द्वारा ग्राम पंचायत डेलवा को पुखता आंवटित हुई है। उक्त वादगत भूमि ग्राम पंचायत डेलवा के कब्जा व काश्त में है। अपीलांट ने अपीलधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। इस कारण अपील अनकम्पलीट होने से चल नही सकती है। रेवेन्यु मेनवल पार्ट प्रथम रूल 30 की पालना मेन्डेटरी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.01.1994 का कोई आदेश ही नहीं है। अमलदरामद के बावत कोई आदेश हैं तो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रकरण नही चल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था इस कारण अपील बिना परमीशन लिए पेश नही की जा सकती है। सैक्शन 96 सीपीसी के तहत परमीशन ली जानी आवश्यक हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने इस संबंध में न्यायिक दृष्टिांत आर.आर.डी 1988 पेज 124, आर.

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आर.डी 1993 पेज नं. 314, आर.आर.डी 1994 पेज 703 एवं आर.आर.डी 1994 पेज 317 प्रस्तुत कियें।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त वादगत भूमि के संबंध में जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर अपने आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 की पालना में अमल दरामद आदेश दिनांक 21.01.1994 द्वारा सहवर्ती साक्ष्यों के आधार पर ग्राम पंचायत डेलवा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता हैं कि जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 उक्त दिनांक को अभिलेख में नहीं होना पाया अर्थात् उक्त अपीलाधीन आदेश अस्तित्व में ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर का मूल आदेश क्रमांक 105 दिनांक 24.02.1969 ही अस्तित्व में नही होने पर इसकी पालना में जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अमल दरामद किए जाने का आदेश दिनांक 21.01.1994 की अपील सारहीन(Infructuous) हो जाती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन (Infructuous) हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज की जाती

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर